न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ(राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 202/2022

जीसीएमएस न0 2022/621

1 बाबुलाल पुत्र पेमा उर्फ प्रेमचन्द कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

2. गंगाबाई पत्नि पेमा उर्फ प्रेमचन्द कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. बालमुकुन्द पुत्र पेमा उर्फ प्रेमचन्द कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र परथा जी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.2 नानालाल पुत्र परथा जी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

3. मु० हुडीबाई पत्नि परथा जी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

4. समरथ पुत्र गौतम माता कारीबाई जाति कुमावत निवासी बिलोट तह० डूंगला हा०मु० मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

5. सुरेश कुमार पुत्र परथा जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

6. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,5

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (राज) निम्बाहेडा–जिला चित्तौडगढ)

::निर्णय:: दिनांक 28.06.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 179 की आराजी नं0 373 रकबा 0.4800 हैक्टेयर लगानी 3 रुपये 36 पैसा स्थित व खाता संख्या 180 की आराजी नं0 362 रकबा 0.4700 हैक्टेयर लगानी 2 रुपये 35 पैसा, आराजी नं0 372 रकबा 0.8900 हैक्टेयर लगानी 6 रुपये 23 पैसा स्थित हैं।

(हस्ताक्षर / मुहर: सहायक कलक्टर निम्बाहेडा)

2. वादग्रस्त आराजी नं0 362, रकबा 0.4700 हेक्टेयर आराजी नं0 372 रकबा 0.8900 हेक्टेयर, प्रार्थीगण के खातेदारी की है तथा आराजी नं0 373 रकबा 0.4800 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी नं० 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो पूर्व से पश्चिम भालोट से निकुम्भ जाने वाले मेरे रोड से दक्षिण दिशा में मुडकर विपक्षीगण की आराजी नं0 328 की पूर्वी मेड से होकर 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात पर आता जाता हैं उक्त रास्ता जो विपक्षीगण आराजी नं0 328 व 317 के मध्य होकर करीब 15 फीट चौडा कदीमी रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आता जाता है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर कदीम से हल बैल गाडी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते चले आ रहे है तथा उक्त कदिमी रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं हैं। विपक्षीगण की आराजी नं0 328 व 317 के बिच की मेड से होकर आराजी नं० 326, 325, 324, 323, 322 की पूर्वी मेड से होकर उक्त कदीमी रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात पर आता जाता है।विपक्षीगण प्रार्थीगण के उक्त कदीमी रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद करने की नियत से उक्त रास्ते को अपना होना बताकर रास्ते की जमीन पर जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत से, रास्ते को संकडा करने की नियत से रास्ते में खाई खोदकर खंडे पत्थर डाल कर, मेड को हांक कर रास्ते की भूमि को अपनी आराजीयात में मिला कर उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं जिसे हटवाया जाकर उक्त रास्ता बदस्तुर कायम रखा जावें।

3. प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को आराजी नं0 328 की पूर्वी मेड पर स्थित उक्त कदीमी रास्ता जो 15 फिट चौडा हैं उक्त रास्ते की भूमि की डि.एल.सी.रेट के अनुसार जो भी रकम बनती है वह रकम प्रार्थीगण विपक्षीगण को देने के लिए तैयार हैं परन्तु वह उक्त रकम नही ले रहे हैं। विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर जबरन उक्त कदिमी रास्ते को बंद करना पैदा करना चाहते है प्रार्थीगण का और रास्ते में अवरोध रास्ता एक मात्र कदिमी रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सुरत में प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर आने जाने का सवत एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थीगण की आराजीयात परत पड़ी रह जावेगी, और प्रार्थीगण की भूमि को हर सुरत में पडत रखवाने पर विपक्षीगण आमादा है, जिससे प्रार्थीगण को अपूणीय क्षति होगी इसलिए इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन कराया जावे एवं जितनी भूमि रास्ते में आ रही है उसकी डी एल सी दर अनुसार राशि विपक्षीगण को भुगतान कराई जाकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर अंकन करवाया जायें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] रिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1,2,3,5 की [illegible] आर[illegible] अधिवक्ता श्री मदन चपलोत ने जवाब प्रस्तुत किया। [illegible] मौका इस कार्यालय को प्रस्तुत की है। रिपोर्[illegible] मिण्डाना की आराजी संख्या 372 व 362 पर जाने हेतु चाहा गया रास्ता [illegible] एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह निकटतम रास्ता है एवं उक्त रास्ता सुविधा के लिए नहीं है। आराजी पर पहुँचने के लिए वादीगण द्वारा चाहा गया निकटतम रास्ता निम्नानुसार आराजीयात से होकर गुजरेगा मौजा मिण्डाना आराजी नम्बर 328 रकबा 1.33 है० में से रास्ते हेतु 4.5 गुणा 30 कुल 135 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। उक्त आराजी नं. 328 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

1.33 है० भूमि श्री जगदीश, नानालाल पिता परथा कुमावत, हुडीबाई पत्नि परथा कुमावत 3/5, समरथ पिता गौतम कुमावत 1/5 तथा सुरेश पिता परथा कुमावत 1/5 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रास्ते की डीएलसी रेट 767155 प्रति हैक्टेयर के अनुसार रकबा 135 वर्गमीटर रास्ते हेतु डीएलसी की दोगुनी राशि 20715/– रूपये बनते है। डीएलसी की प्रति संलग्न है। प्रार्थी के आ०नं० 362 व 372 पर आने–जाने हेतु रास्ते का क्षेत्रफल व डीएलसी रेट निम्नानुसार है–

क्र० स०	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	(रास्ते का रकबा X डी०एल०सी दर X 2 = कल राशि (पूर्णाक मे)
1	मिण्डाना	328	1.33	श्री जगदीश, नानालाल पिता परथा कुमावत, हुडीबाई पत्नी परथा कुमावत 3/5, समरथ पिता गौतम कुमावत 1/5 तथा सुरेश पिता परथा कुमावत 1/5	4.5x30= 135 वर्गमीटर	20715/-

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बावत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

8. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजी नं0 362 [illegible] 4700 हेक्टेयर आराजी नं0 372 रकबा 0.8900 हेक्टेयर प्रार्थीगण के खाते [illegible] की तथा आराजी नं0 373 रकबा 0.4800 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी नं0 1 की खातेदारी [illegible] कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक [illegible] कदीमी रास्ता जो पूर्व से पश्चिम भालोट से निकुम्भ जाने वाले मेन रोड से दक्षिण दिशा में मुडकर विपक्षीगण की आराजी नं0 328 की पूर्वी मेड से होकर [illegible] फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात पर आता जाता हैं उक्त रास्ता जो विपक्षीगण आराजी नं0 328 व 317 के मध्य होकर करीब 15 फीट चौडा कदीमी रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आता जाता है प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ता कायम कराना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है वह ग्राम प्रार्थीगण को अपनी वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना की आराजियात 373,362,372 में पहुंचने हेतु ग्राम मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना की आराजी नम्बर 328 रकबा 1.33 है० में से रास्ते हेतु 4.5 गुणा 30 कुल 135 वर्गमीटर भूमि की चौडाई का रास्ता कायम किया जायें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डी.एल.सी रेट के अनुसार रकबा 135 वर्गमीटर रास्ते हेतु डी.एल.सी की दोगुनी राशि रू 20715/– प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी क्रमांक 1 से 5 को उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जायें । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से उक्त 135 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायें। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगे। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की विपक्षी क्रमांक 1 से 5 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि लेने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे तथा विपक्षी क्रमांक 1 से 5 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि नहीं लेने की स्थिति में डिमांड राशि अपने पास जमा रखते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र0 स0	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	(रास्ते का रकबा x डी0एल0सी दर x 2 = कल राशि (पूर्णाक मे)
1	मिण्डाना	328	1.33	श्री जगदीश, नानालाल पिता परथा कुमावत, हुडीबाई पत्नी परथा कुमावत 3/5, समरथ पिता गौतम कुमावत 1/5 तथा सुरेश पिता परथा कुमावत 1/5	4.5x30= 135 वर्गमीटर	20715/-

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (राज.) ... जिला चित्तौड़गढ़